मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र)

क्र. 4488 /NREGS-MP/NR-17 (नंदन फलोद्यान)/08 भोपाल दिनांक 15/07/08

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश
   जिला – समस्त

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना के तहत फलदार पौधों की व्यवस्था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यों में **''नंदन फलोद्यान''** एक महत्वपूर्ण उपयोजना है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित हितग्राहियों को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न स्थानों पर फलदार पौधरोपण एवं पौध की व्यवस्था हेतु पूर्व में निम्नानुसार पत्रों के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं : –

क्र.	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	विषय वस्तु
1	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 6673/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./07 दिनांक 20.04.2007	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।
2	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 8475/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 दिनांक 31.05.2007	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के तहत ''नंदन फलोद्यान उपयोजना'' के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिए वृक्षारोपण हेतु पौध व्यवस्था के संबंध में।
3	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 9813/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./07 दिनांक 25.06.2007	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में ''नंदन फलोद्यान उपयोजना'' के अंतर्गत केला एवं पपीता के फलोद्यान विकास के संबंध में।
4	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 1889/22/वि–7/NREGS-MP/2007 दिनांक 13.07.2007	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के तहत ''नंदन फलोद्यान उपयोजना'' के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिये वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के संबंध में।
5	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 1610/NREGS-MP/Tech/08 दिनांक 18.03.08	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के तहत ''नंदन फलोद्यान उपयोजना'' के अंतर्गत फलोद्यान विकास के लिये वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2008 के मानसून सत्र के दौरान नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत पौधरोपण हेतु पौधों की व्यवस्था के संबंध में वीडियों कांफ्रेन्स दिनांक 02.07.08 को भी निर्देश दिये गये हैं। फलदार पौधों की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें : –

1. **पौधों की व्यवस्था** : नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत उत्तम गुणवत्ता के फलदार पौधे क्रय करने की व्यवस्था शासकीय नर्सरी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित एवं निजी अनुबंधित नर्सरी से की गई हैं। पौधे मानक मापदण्ड एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता के ही क्रय किया जाये। परिषद से अनुबंधित नर्सरियों से पौधों का क्रय परिषद की मानक मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार किया जायें। निगम से पौधों का क्रय निगम की मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार किया जावें। परिषद एवं निगम के पौधों की गुणवत्ता का स्पेशिफिकेशन संलग्न है।

1.1 **शासकीय नर्सरी** : फलदार पौधों का क्रय सर्वप्रथम शासकीय नर्सरियों से किया जावे। जिले में प्रजातिवार एवं किस्मवार पौधों की मांग का आंकलन करके यह देखे कि शासकीय नर्सरियों से मांग अनुसार आवश्यक मात्रा में पौधे उपलब्ध है या नहीं। जितने पौधे शासकीय नर्सरियों पर उपलब्ध हैं उन्हें शासकीय नर्सरी से क्रय करें। वन विभाग की अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की नर्सरियों में उपलब्ध **सीताफल श्रेष्ठबीजू, नींबू (कागजी) एवं ग्राफ्टेड आंवला** पौधों की सूची एवं पौधों की मानक मापदण्ड एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता की सूची परिषद के पत्र क्रमांक 4343/NREGS-MP/NR-17/2008 दिनांक 05.07.2008 से जिलों की ओर भेजी गई है। कृपया वन विभाग की निर्धारित शासकीय दर पर पौधे क्रय करने की शीघ्र कार्यवाही करें। मानक मापदण्ड एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता के पौधे जिले में उद्यानिकी विभाग एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरियों से भी निर्धारित शासकीय दर पर क्रय किये जा सकते हैं। शासकीय नर्सरी से क्रय पौधे सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था जनपद पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश के व्यय पर की जायेगी।

1.2 **मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित** : जिले में शासकीय नर्सरियों से क्रय हेतु सुरक्षित पौधों के अतिरिक्त शेष पौधे जैसे–**आम के ग्राफ्टेड पौधे** (आम्रपाली, मल्लिका, केशर तथा राजापुरी किस्म एवं इनारचिंग पद्धति से ग्राफ्टेड पौधे को छोड़कर, इनारचिंग पद्धति से ग्राफ्टेड पौधे मध्यप्रदेश में सफल नही होने से क्रय नहीं करना है), **अमरूद ग्राफ्टेड** (एप्पल गुआवा किस्म को छोड़कर), **आंवला ग्राफ्टेड** (कंचन, चकैया, नरेन्द्र सीरीज), **नींबू (कागजी), बेर की समस्त प्रजाति, अनार (मृदुला किस्म को छोड़कर), मौसंबी, संतरा, चीकू, पपीता एवं केला (टिश्यू कल्चर) के** पौधों का क्रय मध्यप्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम से उनकी निर्धारित दर पर किया जाये, निगम **पौधे जनपद स्तर पर पहुॅचाकर उपलब्ध करायेगा।** मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित यदि मौसंबी, संतरा, चीकू एवं पपीता प्रजाति के पौधे आदेश देने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाये।

1.3 **निजी अनुबंधित नर्सरी** : मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा **केला टिश्यू कल्चर** के 50–50 हजार पौधे क्रमशः रिलायंस लाईफ साईन्सेस प्रा.लि.नवी मुम्बई तथा गोदरेज एग्रोवेट आन्ध्रप्रदेश से (दर रूपये 15.00 प्रति पौधा पॉलीथिन पैकिंग में) **जिला स्तर पर पहुॅचाकर प्रदाय करने हेतु अनुबंध** किया गया है। उक्त 1 लाख पौधों को छोड़कर **केला टिश्यू कल्चर के शेष पौधे** मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित से क्रय किये जाये।

2. **पौधों क्रय हेतु आदेश जारी करना** : पौधा क्रय आदेश देते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाये–

2.1 शासकीय नर्सरियों से पौधे क्रय हेतु आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संबंधित विभाग को दिया जायेगा। शासकीय नर्सरियों से जिस वाहन में पौधा परिवहन करना है, उसकी क्षमता अनुसार संख्या में एक साथ पौधे क्रय करने का आदेश दिया जाये।

2.2 मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित से पौधे क्रय करने का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दिया जायेगा। निगम द्वारा ट्रक से पौधा जनपद में पहुॅचाकर दिया जायेगा। एक ट्रक लोड में पॉलिथीन/जूट पैकिंग के लगभग 8 हजार पौधे आते है। अतः निगम को पॉलिथीन/जूट पैकिंग में पौधे का क्रय आदेश देते समय इस बात का ध्यान

रखा जाये कि जनपदों की मांग इस प्रकार समायोजित कर ली जावे कि निगम का परिवहन व्यय अनावयक रूप से न बढ़े।

2.3 निजी अनुबंधित नर्सरी से केला के टिश्यू कल्चर पौधे क्रय करने का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संबंधित फर्म को दिया जायेगा।

3. **<u>नर्सरियों से पौधे प्राप्त करना</u>** : नर्सरियों से पौधा प्राप्त करने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर एक दल बनाया जावे। इस दल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रतिनिधि जो उद्यानिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो तथा न्यूनतम दो हितग्राही रहेंगे। गठित दल द्वारा प्रदायकर्ता की नर्सरी पर जाकर (उदाहरण के लिए यदि निगम मलिहाबाद की किसी नर्सरी से पौधा सप्लाय कर रहा है तो यह दल मलिहाबाद जावेगा) चाही गई प्रजाति के निर्धारित मानक मापदण्ड एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता के पौधे डिस्पेच हेतु चिन्हित करेगा। इस दल को नर्सरी तक आने–जाने का किराया एवं भत्ता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद से भुगतान किया जाये।

4. **<u>प्राप्त पौधों को हितग्राहियों तक पहुंचाना:</u>** मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित से क्रय किये गये पौधे जनपद में प्राप्त होने पर उन्हें जनपद पंचायत स्तर पर उद्यान विभाग या अन्य शासकीय विभागों से समन्वय स्थापित कर संबंधित विभागों की नर्सरियों में रखा जाये। नर्सरियों में इन पौधों की पर्याप्त देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे पौधे क्षतिग्रस्त न हों या मरे नहीं। नर्सरियों से पौधे सीधे हितग्राहियों को पौधरोपण हेतु वितरित किये जाये।

नंदन फलोद्यान उपयोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : परिषद एवं निगम द्वारा निर्धारित पौधों का स्पेशिफिकेशन

सही/
(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृष्ठा. क्र. 4489/NREGS-MP/NR-17 (नंदन फलोद्यान)/08 भोपाल दिनांक 15/07/08

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. श्री ए. एस. अहलावत, प्रभारी नंदन सैल, विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित, पंचानन भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।

संलग्न : परिषद एवं निगम द्वारा निर्धारित पौधों का स्पेशिफिकेशन

सही/
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल